कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।				
Office of Deputy Conservator of Forest, Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar,				
पत्रॉकः- 2350 /12-1 गोपेश्वर, दिनांक 12 जनवरी, 2017				
सेवा में, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,				
	वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशलय,			
	इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,			
द्वाराः–	देहरादून। - िदेश्क∕ वन संरक्षक, नन्दादेवी वायोस्फियर रिजर्व ग	ोपेखर ।		
विषयः— प्रस्तावित सिमली शैलखर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण। महोदय,				
	उपरोक्त विषय के कम चाही गई सूचना निम्नानुसार र	नंलग्नक सहित प्रेषित की जा रही है:		
<u></u> जन्म	प्रभ	उत्तर		
स्र	Total period for which the forest land is proposed to be	part l के Column A-1 में संबेधित, कर 99 वर्ष		
1	diverted is given as nil. This may be reviewed.	अपलोड किया गया है।		
2	The details of person making application and that of the one authorized to file application do not match.	part l के Column A-3 में संबेधित कर अपलोड किया गया है।		
3	The sum total of village wise area breakup is 1.34 ha while in other places the land to be diverted is mentioned as 1.44 ha. Also the total of component wise break up is 1.43 ha. This discrepancy may be looked into.	part l के Column A-2-3 में village wise area breakup में 1.34 है0 जोड़ दिया गया है। तथा मक डिस्पोजल के लिए 0.10 वन भूमि हस्तान्तरण होनी है। तकनिकी कमियों के कारण मक डिस्पोजल 0.10 है0 के स्थान पर 0. 0999 है0 द्र्झाया गया ।		
4	Soft copies of shapefiles indicating map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station may be provided.	part l के Additionl Information में अलग- अलग फाईल बनाकर अपलोड कर दी गई है, तथा GPS or Total Station map संलग्न है।		
5	In the FRA certificate of DM, names of 3 villages have been mentioned, while Gram Sabha proceedings of only one village has been annexed. Gram Sabha proceedings of all concerned villages may be sent	part l के Column K(a) FRA संप्रेधित करते हुए सभी ग्रामों को दर्शाया गया है। जिसमें ग्राम कनोठ एवं मल्याग्वाड के ग्राम प्रधान एक ही है। संलग्न		
6	Instead of ,Copy of MoU/agreement executed between the Present owner and the User Agency in part I, some other document is attached.	part l के Column L (iv) (g) में Copy of MoU/agreement executed between the Present owner attached. कर दिया है।		
सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० कर्णप्रयाग के पत्रांक 3689/10 एल०ए० दिनांक 29—12—2016 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।				
	जताः जनुराव ह पि पिपिपापिता प्रकरण न जग्नतार पग	यपाहा फरन का फूया करा		
		Hadian.		
		(नीतू लक्ष्मी एम0)		
		ेउप वन संरक्षक		
		केत्राज्याश तज्यात्रीत गणगग गोगेषत्रत् ।		

*

ey .

उप वन सरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

(2)

प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग

E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक **3689 / 10 (2***m-Qu* सेवा में दिनांक : १९ //2/2018

Phone/Fax :- 01363-244204

के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- EDS दिनांक 19.11.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार एवं आपके द्वारा लगायी गयी आवत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :--

क्र.स.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	Total period for which the forest land is proposed to be diverted is given as nil. This may be reviewed.	पार्ट—। को जम संख्या A-1 (x) में Total period of forest land 99 Year mention कर दिया गया है।
2	The Details of person making application and that of the one authorized to file application do not match.	पार्ट-। के क्रम संख्या A-3 (xvii) में नया Authorized Certificate अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-1 मेज 2)
3	The Sum total of village wise area breakup is 1.34 ha while in other places the land to be diverted is mentioned as 1.44 ha. Also the total of component wise break up is 1.43 ha. This discrepancy may be looked into.	पार्ट-। के कम संख्या B-2.3 में Village wise area breakup 1.44 ha Mention कर दिया गया है। पार्ट-। के क्रम संख्या B-2.4 Component wise breakup में मार्ग निर्माण हेतु 1.34 ha Mention कर दिया गया है। तथा Muck disposal हेतु 0.10 ha भूमि हस्तानारित होनी है लेकिन Technical Error होने के कारण Muck disposal में 0.10 ha के स्थान पर 0.0999 ha दर्शाया गया है।
4	Soft copies of shapefile indicating map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total station may be provided.	पहें-। के Additional Information में अलग- अलग फाइल बनाकर अपलोड कर दीं गयी है। तथा GPS or Total station map संलग्न कर आपको प्रेषित किये जा रहे है। (संलग्नक-2 पेज 3 से 6)
5	In the FRA certificate of DM, names of 3 village have been mentioned, while Gram sabha proceedings of only one village has been annexed. Gram Sabha proceedings of all concerned villages may be sent.	घार्ट—। के क्रम संख्या K (a) में FRA संशोधित करते हुये सभी ग्रामों को दर्जावा गया है। जिसमें ग्राम कनोठ एवं मच्याग्वाड के वर्तमान ग्राम प्रधान एक ही है। (संलग्नक3 पेज 7 से 14)
6	Instead of Copy of MoU/agreement executed between the Present owner and the User Agency in Part-I, some other document is attached.	पार्ट-। के क्रम संख्या L (iv) (g) में Copy of MoU/agreement executed between the Present owner attached कर दिया गया है। (संलम्मक-4 पेज 15)

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- प्रपन्न।

भ जावराता जानवत्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. द्र्युभू-कर्णप्रयाग

Page 1